Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक में नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियंता जे.वी.एन.एल. टोंक व दलाल मोहम्मद शाजिम 20,000/- रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 05 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर, के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **नवतीन सिंह गुर्जर हाल सहायक अभियंता जे.वी.एन.एल. टोंक** व **मोहम्मद शाजिम हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, जे.वी.एन.एल. टोंक** (दलाल) को **20,000/- रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक को एक शिकायत इस आशय की मिली कि दिनांक 04.06.2026 को परिवादी के घर पर विद्युत विभाग की टीम आई तथा परिवादी के घर के मीटर की फोटो खिंच कर मीटर को खोलकर ले गये तथा परिवादी को नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. विद्युत विभाग टोंक द्वारा वी.सी.आर. भरने की धमकी देकर तथा घर का मीटर देने की एवज में 25,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था। वक्त मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गयी तथा परिवादी द्वारा कम कहने की कहने पर 20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि लेने की सहमति दी।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में टी.एल.ओ. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश मीणा** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी नवतीन सिंह गुर्जर हाल सहायक अभियंता जे.वी.एन.एल. टोंक ने परिवादी को अपने कार्यालय में पदस्थापित सहयोगी आरोपी मोहम्मद शाजिम हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, जे.वी.एन.एल. टोंक (दलाल) को रिश्वत राशि 20,000/- रूपये देने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत राशि मोहम्मद शाजिम को दी। आरोपी मोहम्मद शाजिम (दलाल) द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर गिनकर अपने पास रखी। जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपीगणों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **महानिरीक्षक पुलिस श्रीमति एस. परिमाला** के सुपरवीजन में आरोपीगणों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।